



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60722

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4202/2026

बैदेही

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : आशा परिहार, गीता परिहार, प्रतीक चन्द्र

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : सरकारी अधिवक्ता (जी.ए.), रंजीत कुमार
गौतम, विनय कुमार

न्यायालय सं० - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता सुश्री आशा परिहार, राज्य-विपक्षी की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनन्द एवं सूचनादाता के अधिवक्ता श्री विनय कुमार को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 206/2025, अन्तर्गत धारा 115(2), 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना- पूँछ, जिला- झाँसी में विचारण लम्बित रहने के दौरान जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक मृतका की सास है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। घटना दि० 20.09.2025 को घटित होना कथित है। प्रारम्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दि० 01.10.2025 को धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दर्ज कराई गई। अन्वेषण के क्रम में मुकदमा, धारा 115(2), 108 भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया गया। यह विलम्ब अभियोजन पक्ष के लिए घातक है। शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फाँसी के कारण श्वासावरोध है। किन्तु विसरा रिपोर्ट परिरक्षित कर रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजी गई। विसरा रिपोर्ट केस डायरी का भाग नहीं है। मृतका की पुत्री के कथन पर निर्भरता रखते हुए यह तर्क दिया गया कि आवेदक, मृतका की सास होने के नाते, उसका मामला मृतका के पति के मामले से भिन्न है। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों, मृतका की पुत्री के कथनों एवं अन्वेषण के क्रम में संकलित सामग्री के अनुसार, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अपराध गठित करने के आवश्यक तत्व प्रमाणित नहीं होते। आवेदक ने किसी भी रूप में मृतका द्वारा आत्महत्या को दुष्प्रेरित नहीं किया। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 654/2017, निर्णीत दि० 03.10.2024) एवं अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024, निर्णीत दि० 18.08.2025) में पारित निर्णयों पर निर्भरता रखी। आवेदक एक महिला है और दि० 10.11.2025 से कारागार में बन्द है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है तो वह उक्त स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

4. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता एवं सूचनादाता के अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किन्तु अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का सन्तोषजनक खण्डन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है। शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फाँसी के कारण श्वासावरोध है। विसरा रिपोर्ट परिरक्षित कर रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजी गई थी। विसरा रिपोर्ट केस डायरी का भाग नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों, मृतका की पुत्री के कथनों एवं अन्वेषण के क्रम में संकलित सामग्री के अनुसार, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत अपराध गठित करने के आवश्यक तत्व प्रमाणित नहीं होते। आत्महत्या के लिए उकसावे, षड्यंत्र या जानबूझकर

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सहायता के रूप में व्याख्या योग्य कोई भी समीपस्थ या प्रत्यक्ष कार्य आवेदक को आरोपित नहीं किया जा सकता। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह चार माह से अधिक अवधि से कारागार में बन्द है तथा आरोप-पत्र दाखिल हो जाने के पश्चात् विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई सम्भावना नहीं है, विशेषतः जब राज्य द्वारा कोई उचित आशंका व्यक्त नहीं की गई कि यदि आवेदक जमानत पर मुक्त की जाती है तो वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगी अथवा विचारण में विलम्ब करेगी अथवा साक्षियों को डरायेगी-धमकायेगी; अतएव मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, मेरे मत में, आवेदक जमानत पर मुक्त होने की अधिकारी है।

6. आवेदक **बैदेही** को उपरोक्त मामले में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये कि वह:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगी;
- (ii) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी;
- (iii) अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

24 मार्च, 2026